



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक



AX1/ISD/STEX/2/2023-24

Date: 18th May, 2023

The General Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Ltd.,
P.J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

The Vice President,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

BSE Scrip Code: 532525

NSE Symbol: MAHABANK-EQ

Dear Sir / Madam,

Sub: Notice of 20th Annual General Meeting of the Bank.

With reference to the captioned subject, please find enclosed the Notice of 20th Annual General Meeting (AGM) of the Bank scheduled on **Friday, the 9th June, 2023** at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM).

Following agenda items will be transacted at the AGM:

Sr. No.	Particulars
	Ordinary Business:
1	To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31 st March, 2023, and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's report on the Balance sheet and accounts.
2	To declare dividend on the Equity Shares of the Bank for the FY 2022-23.
	Special Business:
3	To approve the appointment of Mr. Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f 15.12.2022.
4	To consider raising of Equity Capital aggregate upto Rs.7,500/- crore through various modes as mentioned in the Notice.

Cut- off date for Agenda Item No 1,2,3 and 4: Voting rights of the Shareholders in respect of all agenda items shall be reckoned as on Friday, 2nd June 2023.

E-voting period: The remote e-voting period shall commence on from 09:00 a.m. on Tuesday, 6th June, 2023 till 05:00 p.m. on Thursday, 8th June, 2023.

Please disseminate the above-mentioned information on your website for the benefit of all shareholders.

Yours faithfully,
Bank of Maharashtra

(Nehal Rawat)
Company Secretary & Compliance Officer
Encl : as above



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



20वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

दिनांक: शुक्रवार, 09 जून, 2023

Notice for 20th Annual General Meeting

Date: Friday, 09th June, 2023



(प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005)

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

टेली/Tel.: 020 25511360 ईमेल/Email: investor_services@mahabank.co.in

वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in

अनुसूची / INDEX

नोटिस	03	Notice	16
टिप्पणियां	06	Notes	18
ई-वोटिंग प्रक्रिया	10	E-voting Process	22
मद क्र. 3 और 4 के लिए स्पष्टीकरण कथन	14	Explanatory Statement to Item no. 3 & 4	26

20वीं वार्षिक साधारण बैठक / 20th Annual General Meeting

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम IMPORTANT DATES AND PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Dates
लाभांश का रिकॉर्ड दिनांक Record Date for Dividend	मंगलवार, 23 मई, 2023 Tuesday, 23 rd May, 2023
ई-वोटिंग अवधि E-voting period	मंगलवार, 06 जून, 2023 को सुबह 09:00 बजे से गुरुवार, 08 जून, 2023 को शाम 05:00 बजे तक। From 09:00 a.m. on Tuesday, 6 th June, 2023 till 05:00 p.m. on Thursday, 8 th June, 2023.
वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक और समय Date and time of Annual General Meeting	शुक्रवार, 09 जून, 2023 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से On Friday, 09 th June, 2023 at 11.00 a.m (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

टिप्पणी: कृपया बैंक की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक में वीसी या ओएवीएम द्वारा ई-वोटिंग, सहभाग लेने और शामिल होने से संबंधित निर्देशों के लिए पृष्ठ संख्या 10 से 13 देखें।

Note: Please refer to page no. 22 to 25 for instructions related to e-voting, participation and joining the 20th Annual General Meeting of Bank through VC or OAVM.



प्रधान कार्यालय : "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की **बीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 09 जून, 2023 को सुबह 11.00 बजे** (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित हेतु आयोजित की जाएगी :

सामान्य व्यवसाय :

मद क्रमांक 1

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ व हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण सहित तुलनपत्र, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लाभ व हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

मद क्रमांक 2

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा

विशेष व्यवसाय :

मद क्रमांक 3

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और उचित समझे जाने पर उसे सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“**प्रस्ताव किया जाता है कि** समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ [eF.No.6/2/2022-बीओ.1 दिनांक 15.12.2022 द्वारा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 (3)(बी) के अंतर्गत बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति को 15 दिसंबर 2022 से अगले आदेश तक एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करना।”

मद क्रमांक 4

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“**प्रस्ताव किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“योजना”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (“विनियम”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पूंजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर”) के अधधीन, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू कानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित / अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “**बोर्ड**” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज़ / विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो रु. 7500/- करोड़ (रु. सात हजार पांच सौ करोड़ मात्र)

से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और / अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") जैसे विदेशी संविभाग निवेशकों ("एफपीआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संमिश्र के रूप में हों।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, राईट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईबी), अधिमानी इश्यू या तत्संबंधी संमिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम") और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराईटर) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशक(कों), चाहे वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों), अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखतों) नियमों, 2019 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमति, अनुमति और / या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईबी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में उल्लिखित है, के अंतर्गत प्लेसमेंट दस्तावेज़/ लेखन / परिपत्र / ज्ञापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईबी) के मामले में -

- (क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है।
- (ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार / भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते / देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और / अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथा लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन लेकिन उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जिन्हें और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधकों/ हामीदार(रों)/ निक्षेपक(कों)/ रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और इसमें प्रवेश भी करने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों (अंडरराइटर्स), अन्य सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्वारा निर्गम(निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/ वारंट/ प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तिकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आकस्मिक मामले, भारत और/ अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझें, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनभिदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को शेयर्स जारी करने/ प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/(निदेशकों) या बैंक का ऐसा कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 15 मई, 2023

स्थान : पुणे

(ए. एस. राजीव)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां :

1. बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 3 और 4 में संलग्न हैं।
2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022 को ध्यान में रखते हुए, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05/05/2020 के पैराग्राफ 3 और 4 में प्रदान की गई आवश्यकताओं और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम ("AGM") आयोजित करने की अनुमति है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैंक की 20वीं एजीएम आयोजित की जा रही है। इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।
3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

एमसीए परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए अनुपलब्ध रहेगी। अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति और उपस्थिति पर्ची को यहां संलग्न नहीं किया जा रहा है।
4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक सहभाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह ई-मेल investor_services@mahabank.co.in पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम तीन दिन पूर्व अर्थात् सोमवार 5 जून, 2023 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।
5. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम, 2004 के अंतर्गत कोरम की जांच हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
6. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि बैंक का एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर भी उपलब्ध होगी।
7. **बैंक का एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा लाभांश का भुगतान करने के लिए बैंक खातों के ब्यौरों को अद्यतन करने हेतु ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया :**

भौतिक शेयरधारकों के लिए : भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक बैंक के आरटीए के पास अपने बैंक खाते के ब्यौरों को अद्यतित और अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं जिसके लिए या तो वे समुचित रूप से भरे हुए **आईएसआर-1 फॉर्म** की भौतिक प्रति एमसीए शेयर ट्रांसफर लिमिटेड, 3बी3, तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव, खैरानी रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072 पर भेज सकते हैं या helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com पर मेल भेज सकते हैं।

डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए : डीमटेरियलाज्ड मोड में शेयर धारित करने वाले और जिनके ई-मेल आईडी/ बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत नहीं हैं ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से अपनी संबंधित डिपॉजिटरियों के पास अपने ई-मेल पते, मोबाइल क्रमांक और बैंक खाते के ब्यौरे पंजीकृत/ अद्यतित करें।
8. चूंकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा, अतः इस नोटिस में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।
9. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम पर मतदान से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एतद्वारा अलग से निम्नानुसार दिए गए हैं।

10. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व और उसके पश्चात् वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उन बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयर धारित करने वाले सदस्य), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षकों आदि को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में सहभाग लेने की अनुमति है।
11. बैंक के जिन शेयरधारकों ने बैंक/ डिपॉजिटरी/ आरटीए के साथ अपने ई-मेल को पंजीकृत नहीं कराया है, वे investor_services@mahabank.co.in/ helpdeskmum@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्राप्त कर सकते हैं।
12. **लाभांश के लिए नियत दिनांक :**
- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता का पता लगाने हेतु **मंगलवार, 23 मई, 2023** नियत दिनांक निर्धारित की गई है।
13. **लाभांश का भुगतान :**
- बैंक के निदेशक मंडल ने 24 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त रु.10/- प्रत्येक के रु. 1.30/- प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई है और यदि बैंक की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक में इसे अनुमोदित किया जाता है तो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन इसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं :
- क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरियों (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सूची के अनुसार 23 मई, 2023 को व्यवसाय समय की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी के रूप में हैं और
- ख) 23 मई, 2023 को या उसके पूर्व बैंक के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज अनुरोधित सभी वैध अंतरणों और प्रतिस्थापन हेतु प्रभाव देने के पश्चात् कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में हैं।
- ग) लाभांश का संवितरण पात्र शेयरधारकों को 20वीं वार्षिक साधारण बैठक में लाभांश की घोषणा के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
14. **लाभांश पर टीडीएस :**
- क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों की लाभांश आय कर योग्य होती है तथा बैंक को शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती निर्धारित दरों पर करना आवश्यक होता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट दरें हेतु शेयरधारकों के अनुरोध के लिए आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में) और डिपॉजिटरियों (डीमैट रूप में शेयर धारित करने के मामले में) के पास अपने पै न अद्यतित करें।
- ख) कोई निवासी वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास पै न है और जो आयकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वह स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने का लाभ प्राप्त करने हेतु आरटीए को ई-मेल द्वारा फॉर्म क्र. 15जी/ 15 एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि नोट करें कि यदि उनके पै न पंजीकृत नहीं हैं तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर कर की कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक अपने निवास के देश और भारत के बीच कर संधी के अंतर्गत लाभ दरें प्राप्त कर सकते हैं जो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है यथा स्थायी प्रतिष्ठान तथा लाभार्थी स्वामित्व न होने की घोषणा, कर निवासी प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो mparase@mcsregistrars.com पर आरटीए को ई-मेल भेजकर कर संधी के लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो सकता है।
- ग) शेयरहोल्डर द्वारा उक्त घोषणाएं और दस्तावेज **30 मई, 2023** या उससे पूर्व mparase@mcsregistrars.com पर मेल द्वारा प्रस्तुत जाना आवश्यक है ताकि बैंक लाभांश राशि पर टीडीएस/ कर कटौती की दर का निर्धारण कर सकें। कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर **30 मई, 2023** के पश्चात् कंपनी द्वारा किसी भी संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रदर्शित होता है, एजीएम में वोट देने का हकदार होगा।
16. खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के बारे में किसी भी जानकारी की मांग करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे investor_services@mahabank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से गुरुवार, 01 जून, 2023 को या पहले बैंक को मेल भेजें। इसका उत्तर बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

17. **पैन, केवायसी, बैंक के ब्यौरे और नामांकन प्रस्तुत करने हेतु मानदंड :**

सेबी ने दिनांक 03 नवंबर, 2021 के अपने परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 के अधिक्रमण में दिनांक 16.03.2023 के अपने परिपत्र SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के पैन, केवायसी, बैंक ब्यौरे और नामांकन अनिवार्य रूप से प्रदान करने का अधिदेश दिया है। अन्य शब्दों में अधिसूचित कंपनियों के भौतिक रूप में शेयर धारकों के लिए अनिवार्य है कि पैन, नामांकन, संपर्क ब्यौरे, बैंक खाता ब्यौरे और अपने फोलियो क्रमांक के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रदान करें।

तदनुसार, यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त सेबी सर्कुलर के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए फॉर्मों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र.	फॉर्म	उद्देश्य
1	Form ISR-1	पैन, केवाईसी विवरण दर्ज/ अद्यतित करने के लिए
2	Form ISR-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	Form ISR-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	Form SH-13	नामांकन फार्म
5	Form SH-14	नामांकन को रद्द करना या परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपर्युक्त सभी फॉर्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 और एसएच-14] तथा उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं। ऐसे फोलियो जहां कोई भी एक प्रदत्त ब्यौरे/ दस्तावेज (अर्थात् पैन, केवायसी, बैंक ब्यौरे और नामांकन) 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे फोलियो में उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार संव्यवहार रोक दिया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द नीचे दिए गए पते पर बैंक के आरटीए को सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें:

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना

- ऊपर दिए गए परिच्छेद में उद्धृत दस्तावेज/ विवरणों में से कोई भी एक 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद फोलियो में उपलब्ध नहीं है तो उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज किया जाएगा।
- प्रतिभूति धारक जिनके फोलियो फ्रीज कर दिए गए हैं, पात्र होंगे:
 - उपर्युक्त परिच्छेद में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए।
 - इस तरह के प्रोजेन फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त करने के लिए। बैंक द्वारा प्रतिभूतिधारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और इस परिपत्र के परिच्छेद 4 में उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर ही यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
- प्रोजेन फोलियो को आरटीए/ सूचीबद्ध कंपनी द्वारा बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रशासकीय प्राधिकारी को भेजा जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज बकाया रहते हैं।
- उपर्युक्त परिच्छेद में दिए गए सभी दस्तावेजों/ विवरणों की प्राप्ति पर आरटीए फ्रीज हुए फोलियो को सामान्य स्थिति में लौटा देगा

आरटीए का विवरण:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष : 022-28516021-22

ई-मेल : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की होल्डिंग

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अद्यतित करना चाहते हैं, उनसे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

18. शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संप्रेषण

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमैट शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से और भौतिक शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन के बारे में सूचित करें।

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

दूरभाष : 022-28516021-22

ई-मेल : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

19. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना :

सेबी ने हाल ही में सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध को 01 अप्रैल, 2019 से स्वीकार करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा संशोधन 2022 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखी गई प्रतिभूतियों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन केवल डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ही प्रभावी होगा। इस तिथि के बाद भी जो शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे आगे हस्तांतरण के लिए बैंक /इसके आरटीए के साथ शेयरों को दर्ज करने में सक्षम नहीं होंगे। शेयरधारक यदि किसी हस्तांतरण को प्रभावी करना चाहते हैं तो उन्हें इनको अनिवार्य रूप से डी-मैट फॉर्म में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के प्रसारण और हस्तांतरण के अनुरोध, आरटीए द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

पूर्वोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक के शेयरधारकों, जिनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भौतिक शेयर हैं, उनसे एक बार फिर सुझाव दिया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड कर लें। शेयरधारक दो डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में से किसी एक में, किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए, डीमैट खाता खोल सकते हैं।

20. शेयरों के डिमैटरियलाइजेशन के लाभ :

शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने और कटने-फटने का कोई डर नहीं, प्रतिभूतियों को धारित करने का सरल और सहज प्रकार, प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण, प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु कम कागजी कार्रवाई, कम अंतरण लागत होती है।

21. अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित “निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि” (आईईपीएफ), को अंतरित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसरण में 2014-15 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए शेष अप्रदत्त/ अदावाकृत लाभांश की ऐसी कोई भी राशि “निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित की गई है।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें।

आईईपीएफ प्राधिकारी से अदावाकृत लाभांश राशि का दावा निर्दिष्ट फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन कर और समुचित रूप से हस्ताक्षरित (बैंक के पास रिकॉर्ड किए गए नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) इसकी भौतिक प्रति आईईपीएफ-5 में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे को भेजकर किया जा सकता है। आईईपीएफ नियम तथा अदावाकृत लाभांश का वापस दावा करने के लिए निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन फॉर्म आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और साथ ही एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

22. **मतदान अधिकार :**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रजिस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में सहभाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल वही कार्यसूची मर्दानों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

23. **ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी व अन्य अनुदेश निम्नानुसार हैं :**

i. **कार्यसूची मर्दानों 1, 2, 3 और 4 के लिए नियत दिनांक:**

यथासंशोधित कंपनियों (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में सभी कार्यसूची मर्दानों के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार **शुक्रवार, 2 जून, 2023 को** माना जाएगा।

ii. **रिमोट ई-वोटिंग :**

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मर्दानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। निर्दिष्ट दिनांक** को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। **मंगलवार 06 जून, 2023 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार, 08 जून, 2023 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।**

iii. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 09 दिसंबर, 2020 क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉग इन का तरीका निम्नानुसार है:**

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	<p>1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मायईजी टैब का चयन करें।</p> <p>2) सफल लॉग-इन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्बी/ लिंकइन्टाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉग इन पर तथा न्यू सिस्टम माय ईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
	4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डी-मैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	<p>1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो "आईडीईएस" सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" विकल्प चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें, जो "शेयरधारक/सदस्य" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डी-मैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</p>
वैयक्तिक शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग-इन कर सकते हैं। सफल लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क ब्यौरे
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

ई-वोटिंग और डी-मैट फॉर्म में वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वचुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग-इन विधि।

- 1) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा
- 2) शेयरहोल्डर मॉड्यूल पर क्लिक करें
- 3) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
 - ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी
 - ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें
- 4) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- 5) यदि आपने अपने शेयर डी-मैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।
- 6) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	भौतिक शेयर धारकों के लिए और डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को छोड़कर
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमैरिक पैन प्रविष्ट करे (डी-मैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि कंपनी/आरटीए अनुक्रम क्रमांक (sequence number) का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डी-मैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- i. ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- ii. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डी-मैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- iii. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- iv. आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <company name> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- v. वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हां/नहीं" विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- vi. यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो "रिजॉल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- vii. संकल्प का चयन करने के बाद, आपने वोट करने का निर्णय लिया है, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

- viii. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" कर लेते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ix. आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- x. यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉग इन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।
- xi. अपलोड किए गए बीआर/पीओए को अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- xii. **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल रिमोट वोटिंग के लिए।**
 - क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात व्यक्ती, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और खुद को "कॉर्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
 - ख) संस्था की मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन कॉपी helpdesk.evoting@cdlindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
 - ग) लॉग इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग इन और पासवर्ड का उपयोग करके कम्प्लायंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कम्प्लायंस यूजर उन खातों को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
 - घ) लॉग इन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में डीलिंग किया जा सकता है।
 - ड) यह अनिवार्य है कि बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की एक स्कैन की हुई कॉपी, जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी की है तो उसे जांचकर्ता द्वारा सत्यापित करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
 - च) वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जांचकर्ता और कंपनी को ईमेल पते (कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ईमेल पता) पर भेजना अनिवार्य है, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और इसे जांचने के लिए संवीक्षक हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

एजेंडा मद क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के लिए

बैठक के दौरान वीसी/ ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में सहभाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. बैठक में सहभाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक वहां उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सफल लॉग इन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले शेयरधारक बैठक में सहभाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा अनुमति देने और अच्छी स्पीड से इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अग्रिम रूप से investor_services@mahabank.co.in पर अपना अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर investor_services@mahabank.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का कंपनी द्वारा उचित रूप से ईमेल द्वारा उत्तर दिया जाएगा।
8. वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो एजीएम में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और यदि वही शेयरधारक वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोट को अमान्य माना जा सकता है क्योंकि यह सुविधा बैठक के दौरान ई-वोटिंग हेतु बैठक में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है।

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कंपनी / आरटीए ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा कृपया आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई आधार कार्ड की कॉपी)।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3. वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतित करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

24. वार्षिक साधारण बैठक में ई-वोटिंग हेतु संवीक्षक :

20वाँ वार्षिक साधारण बैठक में आयोजित की जानेवाली रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

25. ई-वोटिंग का परिणाम:

वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण कथन :

मद क्र. 3:

श्री प्रशांत कुमार गोयल को 15.12.2022 से भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन करना :

सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली साधारण बैठक में निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए। तदनुसार, 15.12.2022 से प्रभावी बैंक के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में श्री प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के परंतुक अनुच्छेद 8 के उप-अनुच्छेद (1) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.सं. 6/2/2022-बीओ.आई) दिनांक 15 दिसंबर 2022 द्वारा श्री प्रशांत कुमार गोयल को 15.12.2022 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री प्रशांत कुमार गोयल की संक्षिप्त प्रोफाइल:

निदेशक का नाम: श्री प्रशांत कुमार गोयल

उम्र: 43 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता: एमबीबीएस, आईएएस।

तैनाती का दिनांक: 15.12.2022

नियुक्ति खंड: बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त।

श्री प्रशांत कुमार गोयल त्रिपुरा कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पहले सचिव, जीए (कैबिनेट और गोपनीय) विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ उद्योग और वाणिज्य विभाग तथा सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के स्वतंत्र प्रभार के साथ मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के सचिव के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने त्रिपुरा सरकार और साथ ही पंजाब सरकार में निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग के रूप में भी कार्य किया है। उनके पास प्रबंधन, प्रशासन, सार्वजनिक नीति आदि में 15 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है।

वे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं। श्री प्रशांत कुमार गोयल को भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड में सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री प्रशांत कुमार गोयल या उनके रिश्तेदारों के अलावा कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो, संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मद क्र. 4:

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

- (i) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक को पुनर्पूजीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कोई इक्विटी पूंजी प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि बैंक ने विभिन्न पूंजीगत लिखतों के माध्यम से रु.1938.00 करोड़ जुटाए हैं। 31.03.2023 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.14% है, जिसमें टीयर 1 पूंजी सीईटी 1 (सीसीबी सहित) के साथ 14.25% थी और टीयर 2 पूंजी 3.89% थी। यह सीआरएआर स्तर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड और टियर-II बॉन्ड को बढ़ाने के कारण प्राप्त किया गया था।
- (ii) अग्रिम वृद्धि में 25% के अनुमान के साथ और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18% के सुदृढ़ सीआरएआर को बनाए रखने के लिए किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए बैंक ने रु. 7500/- करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जुटाने का फैसला किया है।
- (iii) केंद्र सरकार से पूंजी सहयोग, यदि कोई है, सहित क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू आदि और/या बेसल-III अतिरिक्त टीयर-1 बाण्ड्स और/या टीयर-II बाण्ड्स के माध्यम से भारत सरकार/एलआईसी/एफआई को अधिमानी आबंटन आधार द्वारा रु. 7500/- करोड़ की कर समग्र पूंजी जुटाना। इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा।
- (iv) भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य ऐसे प्राधिकारियों के अनुमोदन से और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी के संगत दिशानिर्देशों/विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित इक्विटी पूंजी जुटाई जाएगी।
- (v) निदेशक मंडल ने 24 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु.7500/- करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की पूंजी जुटाने को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
- (vi) 31 मार्च, 2023 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.14% है। वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.10000/- करोड़ है। 31 मार्च, 2023 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 6730.50 करोड़ है।
- (vii) एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से रु.5000/- करोड़ तक पूंजी जुटाने के लिए 28 जून, 2022 को आयोजित 19वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। सेबी विनियमों के अनुसार संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह हेतु प्रतिबंधित है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन एतद्वारा एक बार पुनः मांगा जाता है।
- (viii) वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है।
- (ix) जारी इक्विटी शेयरों को लाभांश सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप रैंक किया जाएगा।

निदेशक मंडल ने नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।

बैंक के किसी भी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति/ निदेशकों का उपर्युक्त संकल्पों में बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 15 मई, 2023

स्थान: पुणे

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

NOTICE

Notice is hereby given that the **Twentieth (20th) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of **Bank of Maharashtra** will be held on **Friday, the 9th June, 2023 at 11.00 a.m.** (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet together with Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of the Bank for the Financial Year ended on 31.03.2023, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement.

Item No.2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2022-23.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 3

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Parshant Kumar Goyal as the Non-Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref [eF.No.6/2/2022-BO.I dated 15.12.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance] w.e.f. 15th December 2022 until further orders be and is hereby approved."

Item No. 4:

To raise Capital through FPO/Rights issue/QIP issue/ etc.,

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10 each, aggregating to not more than ₹ 7,500/- crore (Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore only), (including premium) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Portfolio Investors ("**FPIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**ICDR Regulations**") and all other guidelines issued by RBI, SEBI

and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of Board of Directors

(A.S. Rajeev)

Managing Director and CEO

Date: 15th May, 2023

Place: Pune

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 & 4 at the meeting is annexed hereto.
2. In view of the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular No 10/2022 dated 28.12.2022, in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of the General Circular No. 20/2020 dt. 05/05/2020 through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM) and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Companies are permitted to hold the AGM (“AGM”) through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) and MCA Circulars, the 20th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of Bank shall be deemed to be the venue of the AGM.
3. **APPOINTMENT OF PROXY:**
In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith.
4. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investor_services@mahabank.co.in not less than THREE DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Monday, 5th June, 2023.
5. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.
6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 13th May, 2022, Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2022-23 of Bank will also be available on the Bank’s website www.bankofmaharashtra.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL https://www.evotingindia.com
7. **Process to register the email id for receiving Bank’s AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:**

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank’s RTA by sending either physical copy of duly filled-in **ISR-1 form** to MCS Share Transfer Agent Ltd., 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave, Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai – 400072 or by sending mail at helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register/update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

8. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map of venue of meeting is not annexed in this Notice.
9. The facility to attend the AGM through VC / OAVM will be provided through the Central Depository Services of India Limited (CDSL). The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.
10. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
11. Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of AGM and Annual Report 2022-23 by sending email to investor_services@mahabank.co.in / helpdesknum@mcsregistrars.com
12. **Record date for Dividend:**
Tuesday, 23rd May, 2023 has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Members for dividend for the financial year ended 31st March, 2023.
13. **Payment of Dividend:**
The Board of Directors of the Bank in their meeting held on 24th April 2023 has recommended dividend @ ₹ 1.30/- per equity share of ₹ 10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2023. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 20th Annual General Meeting of Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:
- as Beneficial Owners at the end of the business hours on 23rd May, 2023 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e. NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form, and;
 - as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 23rd May, 2023.
 - The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 20th Annual General Meeting.
14. **TDS on Dividend:**
- Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
 - A Resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate as per the provisions of Income Tax Act. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at mparase@mcsregistrars.com
 - The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail on mparase@mcsregistrars.com on or before **30th May, 2023** to enable the Bank to determine the TDS/withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Company **after 30th May, 2023**.
15. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
16. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before Thursday, 1st June, 2023 through email on investor_services@mahabank.co.in. The same will be replied by the Bank suitably.
17. **Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:**
SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities

in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.bankofmaharashtra.in. Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st October 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest.

Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination.

1. The folios wherein any one of the cited document/details as in para above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
2. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible:
 - 2.1. to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in para above.
 - 2.2. for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Bank to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 4 of this Circular.
3. Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/ or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.
4. The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the Documents/details as in para above

Details of the RTA:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,

Kherani Road , Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072

Tel. 022 – Phone : 022-28516021-22

E-mail : helpdesknum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

Website : www.mcsregistrars.com

Holding of shares in Electronic Form

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

18. Communication with Share Transfer Agents:

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

**MCS Share Transfer Agent Limited,
(Unit: Bank of Maharashtra)**

Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,
Kherani Road, Sakinaka Andheri (E), Mumbai - 400072
Tel. 022 – Phone : 022-28516021-22
E-mail : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
Website : www.mcsregistrars.com

19. Dematerialization of Physical Holdings:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April, 2019. Further it has been mandated vide amendment 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Bank of Maharashtra, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant

20. Benefits of Dematerialization of Shares:

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities and Reduced Transaction cost etc.

21. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the year 2021-22 are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Pune.

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5 to the Bank at the Head Office, Pune. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in

22. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

23. Information and other instructions relating to e-voting process are as under:

i) **CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1, 2, 3 and 4:**

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of all the agenda items shall be reckoned as on **Friday, 2nd June, 2023**.

ii) **REMOTE E-VOTING:**

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders **from 09:00 a.m. on Tuesday, 6th June, 2023 till 05:00 p.m. on Thursday, 8th June, 2023 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

iii) In terms of SEBI circular no. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242** dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above said SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
<i>Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository</i>	<ol style="list-style-type: none">1) <i>Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit cdsi website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab.</i>2) <i>After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</i>3) <i>If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsi website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.</i>4) <i>Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</i>

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository	<p>1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p>
	<p>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.

- 1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- 2) Click on "Shareholders" module.
- 3) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- 4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- 5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- 6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- i. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- ii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- iii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- iv. Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- v. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- vi. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- vii. After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- viii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- ix. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- x. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xii. **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –For Remote Voting only.**
 - a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com.

evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.

- b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cDSLindia.com.
- c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- d) The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delink in case of any wrong mapping.
- e) It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- f) Alternatively, Non Individual shareholders are required mandatory to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; (designated email address by company), if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

For Agenda Items No.1, 2, 3 and 4

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast **7 days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in . The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **7 days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE COMPANY/ DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Company/RTA email id**.
2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective **Depository Participant (DP)**

3. **For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.**

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

24. SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT AGM:

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the 20th AGM.

25. RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

Agenda Item No.3:

TO APPROVE THE APPOINTMENT OF SHRI PARSHANT KUMAR GOYAL, NOMINEE DIRECTOR OF GOVERNMENT OF INDIA.

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Mr. Parshant Kumar Goyal as the Government Nominee Director on the Board of the Bank wef 15.12.2022.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, , Central Government vide its vide Notification Ref eF.No.6/2/2022-BO.I] dated 15.12.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance] from 15th December 2022 has appointed Shri Parshant Kumar Goyal, as the Nominee Director of Government of India on the Board of Bank of Maharashtra with effect from 15.12.2022.

Brief Profile of Shri Parshant Kumar Goyal:

Name of Director: Shri Parshant Kumar Goyal

Age: 43 Years

Education Qualification: MBBS, IAS.

Date of Joining: 15.12.2022

Appointment clause: Appointed as Director under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Parshant Kumar Goyal is 2007 Batch IAS officer of Tripura Cadre, presently on Central deputation and is working as Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He was earlier posted as Secretary to Chief Minister, Tripura with additional charge of Secretary, GA (Cabinet and Confidential) Department with independent charge of Industries and Commerce Department and Information and Cultural Affairs Department. He has also worked as Director in the School Education Department, Government of Tripura and as well as in Government of Punjab. He is having more than 15 years of work experience in Management, Administration, Public Policy etc.,

He is also Director on the Board of United India Insurance Company Limited. Shri Parshant Kumar Goyal is appointed as Government Nominee Director on the Board of Bank of Maharashtra by Government of India w.e.f 15.12.2022.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Parshant Kumar Goyal, or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Resolution.

Agenda Item No.4:

TO RAISE CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS ISSUE/QIP ISSUE ETC.,

- i. During the financial year 2022-23, Bank has not received any equity capital from GOI under recapitalization plan, however bank has raised ₹1938.00 crore through various capital instruments. Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2023 is 18.14%, of which Tier 1 capital was 14.25% with CET 1 (incl. CCB) and Tier 2 capital was 3.89%. This CRAR level was attained due to raising of BASEL

III Compliant Additional Tier I Bond and Tier II Bonds in F.Y. 2022-23.

- ii. With projection of 25% in advances growth and to maintain healthy CRAR of 18% in F.Y. 2023-24 and to meet any exigency Bank has decided to raise the additional capital aggregate upto ₹ 7500/- Crore.
- iii. Raising of capital aggregate upto Rs. 7500/- crore by way of Preferential allotment basis to GOI/ LIC / FI by way of QIP/ FPO/ Rights Issue etc and/or BASEL III additional Tier-I Bonds and/or Tier-II Bonds including Capital support from Central Government, if any. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- iv. The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI.
- v. The Board of Directors at their meeting held on 24th April, 2023 had given their approval to raise an capital upto ₹ 7,500/- crore (including share premium) through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- vi. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2023 is 18.14%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, ₹ 10000/- crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2023 is ₹ 6730.50 crore.
- vii. The approval of the Shareholders of the Bank was obtained in the 19th Annual General Meeting held on 28th June, 2022 for raising of capital through FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., upto ₹ 5,000/- crore. As per the SEBI Regulations, the validity of the resolution is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements, the approval of the shareholders of the Bank is hereby sought once again.
- viii. The Present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.
- ix. The equity shares issued shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Date: 15th May, 2023
Place: Pune

By order of Board of Directors

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO





ईमेल आईडी पंजीकरण फार्म

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पता : 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

टेलीफोन : (022) 022-28516021-22

ईमेल : helpdesknum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय : ईमेल आईडी का पंजीकरण

मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में बैंक से शेयरधारकों के सभी भावी संचार जैसे नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज आदि प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। सभी सूचनाएं/ दस्तावेज आदि ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए कृपया मेरे ई-मेल आईडी को अपने अभिलेख में पंजीकृत करें।

1	प्रथम /एकल शेयर धारक का नाम	
2	पंजीकृत फोलियो क्रमांक / डीपी आईडी-ग्राहक आईडी	
3	पता	
		पिन कोड :
4	ई-मेल आईडी	
5	संपर्क क्रमांक	

नोट:

1) शेयरधारकों से अनुरोध है कि ईमेल पते में कोई भी परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करें। जब तक आपके द्वारा लिखित रूप में एक और संचार भेजकर, दी गई ई-मेल आईडी नहीं बदली जाती है, बैंक आपको उपर्युक्त ई-मेल आईडी पर नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि भेजना जारी रखेगा। 2) यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

दिनांक :

स्थान:

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



Email ID Registration form

To,
MCS Share Transfer Agent Limited (RTA)
Unit: Bank of Maharashtra
Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,
Kherani Road , Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072
Tel. 022 – Phone : 022-28516021-22
E-mail : helpdeskmm@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
Website : www.mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Registration of Email ID

I agree to receive all future shareholders communication like Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ Documents etc. from the Bank in electronic mode. Please register my e-mail id in your records for sending all the notices / documents etc. through e-mail.

1.First / Sole Shareholder's name:	
2. Registered Folio No/ DP ID & Client ID.:	
3. Address:	
	Pin code:
4. Email ID:	
5. Contact Nos.:	

Notes: 1) Shareholders are requested to keep Bank informed as and when there are any changes in the email address. Unless the e-mail Id given is changed by you, by sending another communication in writing, the Bank will continue to send the Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ documents etc. to you on the above mentioned e-mail ID. 2) If shares are held in electronic mode, kindly register your e-mail ID with your DP.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Date:

Place

(signature of Shareholder)



ईसीएस फॉर्म

(केवल भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पता : 3बी3 तीसरी मंजिल, गुंदेचा ऑनक्लेव,
खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072

टेलीफोन : (022) 022-28516021-22

ईमेल : helpdesk@mcsregistrars.com / mparase@mscregistrars.com

वेबसाइट : www.mcsregistrars.com

प्रिय महोदय,

विषय : डाक पते सहित बैंक खाता/ पैन / ईमेल आईडी के ब्यौरे का अद्यतन

मैं/ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे/ हमारे फोलियो क्रमांक के सामने निम्नलिखित जानकारी को अद्यतित करें :

1. प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम:	
2. रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक:	
3. पता:	
4. ई-मेल आईडी:	
5. पैन क्र.:	
6. संपर्क क्र.:	
7. बैंक खाते का विवरण:	
क. बैंक का नाम	
ख. शाखा नाम व पता	
ग. बैंक खाता क्र.	
घ. बैंक शाखा का आईएफएससी कूट	
ड. एमआईसीआर क्रमांक	

(*उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना पता साक्ष्य, पैन तथा निरस्त कोरा चेक (वर्तमान में सक्रिय खाता) की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

दिनांक :

स्थान:

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



ECS Form

(for Shareholders holding physical shares only)

To,
MCS Share Transfer Agent Limited (RTA)
Unit: Bank of Maharashtra
Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,
Kherani Road , Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072
Tel. 022 – Phone : 022-28516021-22
E-mail : helpdeskmm@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
Website : www.mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Updation of details of Bank Account / PAN/ Email ID along with postal address.

I/ We request you to record/ update the following information against my/ our Folio No:

1. First / Sole Shareholder's name:	
2. Registered Folio No.:	
3. Address:	Pin code:
4. Email ID:	
5. PAN No.:	
6. Contact Nos.:	
7. Particulars of Bank Account:	
a. Bank Name	
b. Branch Name and its address	Pin code:
c. Bank Account Number	
d. IFSC code of the Bank Branch	
e. MICR No.	

(Please enclosed self-attested copy of Address proof, PAN and cancelled Cheque (of presently active a/c) for verification of the above details).

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Date:

Place

(signature of Shareholder)